सं. ए-42011/6/2023-स्थापना

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

***

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 24 फरवरी, 2025

<u>**कार्यालय ज्ञापन**</u>

विषय: वस्त्र मंत्रालय में स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में युवा पेशेवरों/परामर्शदाता ग्रेड-1/ परामर्शदाता ग्रेड-2 की नियुक्ति के लिए नए दिशानिर्देश।

वस्त्र मंत्रालय में युवा पेशेवरों (वाईपी) की नियुक्ति के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 28.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/17/2021-स्था. का अधिक्रमण करते हुए, वस्त्र मंत्रालय में युवा पेशेवरों/परामर्शदाता ग्रेड 1/परामर्शदाता ग्रेड 2 की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तब तक के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जब तक कि इन दिशा-निर्देशों में आगे संशोधन नहीं किया जाता। ये दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

1. **पृष्ठभूमि** : वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय जिम्मेदार है। मंत्रालय वस्त्र उद्योग के विकास के लिए मुख्य योजनाओं जैसे संशोधित टीयूएफएस (एटीयूएफएस), उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ), पीएम-मित्र, एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी), अपैरल विनिर्माण में इनक्यूबेशन योजना (एसआईएएम), और वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) आदि का संचालन करता है। संगठनात्मक क्षमता निर्माण, कार्यक्रम निगरानी को मजबूत करने, योजना निर्माण, मूल्यांकन, परियोजना निगरानी संरक्षण, देश में वस्त्र उद्योग के विकास और विश्व में भारतीय वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए इनका उपयोग करना लाभदायक माना जाता है।

इन सभी विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय को आवश्यक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के साथ खुद को सक्षम करने की आवश्यकता है। इसलिए, मंत्रालय अपने विभिन्न प्रभागों के लिए स्वतंत्र परामर्शदाताओं के रूप में युवा पेशेवरों/परामर्शदाता ग्रेड 1/परामर्शदाता ग्रेड 2 को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है।

2. **नियुक्ति का प्रकार और अवधि**

i. नियुक्ति तीन स्तरों पर होगी - युवा पेशेवर, परामर्शदाता ग्रेड 1, और परामर्शदाता ग्रेड 2 इन्हें सामूहिक रूप से स्वतंत्र परामर्शदाताओं (आईसी) के रूप में जाना जाएगा।

ii. नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी।

iii. नियुक्त कार्मिकों को वस्त्र मंत्रालय के संबंध में एक स्वतंत्र परामर्शदाता का कानूनी दर्जा प्राप्त होगा और किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें वस्त्र मंत्रालय का 'स्टाफ सदस्य' या 'अधिकारी' नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित कोई भी बात वस्त्र मंत्रालय और स्वतंत्र सलाहकारों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी, या प्रमुख और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं करेगी।

iv. नियुक्ति प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर आगे तीन वर्ष (1+1+1) तक बढ़ाया जा सकता है।

3. **योग्यता, अनुभव और रिक्तियां:** निम्नलिखित योग्यता और अनुभव वाले आवेदकों को युवा पेशेवर/परामर्शदाता ग्रेड 1/परामर्शदाता ग्रेड 2 के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

3.1. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:

नौकरी विवरण से संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

3.2. वांछनीय योग्यता: जैसा कि वस्त्र मंत्रालय के संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यक्षेत्र की वास्तविक कार्य आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा (विज्ञापन के समय अधिसूचित किया जाएगा)।

3.3. अनुभव, आयु एवं पारिश्रमिक:

पद	उपरी आयु सीमा (विज्ञापन के वर्ष की 01 जुलाई को)	योग्यता उपरांत अनुभव वर्ष*	प्रासंगिक अनुभव (वर्षों की संख्या)
युवा पेशेवर	35 वर्ष	न्यूनतम 1 वर्ष	0
परामर्शदाता ग्रेड 1	45 वर्ष	न्यूनतम 3 वर्ष	2
परामर्शदाता ग्रेड 2	50 वर्ष	न्यूनतम 8 वर्ष	5

*पीएचडी धारक के लिए अनुभव में 3 वर्ष तक का समय शामिल किया जाएगा। बशर्ते इन 3 वर्षों के दौरान कोई कार्य अनुभव नहीं माना जाएगा।

3.4 स्वतंत्र परामर्शदाताओं की संख्या : वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र परामर्शदाताओं की कुल संख्या किसी निश्चित समय पर वास्तविक आवश्यकता और बजट के प्रावधान पर निर्भर करेगी।

4. चयन प्रक्रिया: स्वतंत्र परामर्शदाताओं का चयन स्क्रीनिंग समिति और चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसका गठन सचिव, वस्त्र के अनुमोदन से किया जाएगा।

5. पारिश्रमिक और वार्षिक वृद्धि

5.1. पारिश्रमिक

i. पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और कोई अन्य सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए पारिश्रमिक की सीमा तालिका में निम्नानुसार दी गई है।

पद	पारिश्रमिक प्रति माह (रु.)
युवा पेशेवर *	**70,000**
परामर्शदाता ग्रेड 1	80,000 - 1,45,000
परामर्शदाता ग्रेड 2	1,45,000 - 2,65,000

*** नीति आयोग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से नियुक्त किए जाने वाले युवा पेशेवरों का वेतन 70,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा।**

***युवा पेशेवरों और परामर्शदाता जिन्हें पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार भर्ती किया गया है और जो वर्तमान में इस मंत्रालय में काम कर रहे हैं और अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उनका कार्यकाल उनके प्रदर्शन के आधार पर और कार्यकाल विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार अगले दो वर्षों (1+1) के लिए बढ़ाया जाएगा। पारिश्रमिक भर्ती के समय प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।**

ii. परामर्शदाता ग्रेड-I/II के लिए चयनित उम्मीदवारों का पारिश्रमिक निम्नलिखित के आधार पर तय किया जाएगा:

क) उपरोक्त तालिका में उस पद के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक की सीमा जिसके लिए उम्मीदवार का चयन किया गया है।

ख) अनुभव के वर्ष

ग) अंतिम आहरित वेतन (विशेष मामलों में विचार किया जाएगा जहां चयन समिति ने निर्धारित किया हो कि अभ्यर्थी असाधारण है)।

5.2. टीए/डीए: स्वतंत्र परामर्शदाता को भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। दौरे के दौरान, युवा पेशेवरों को अनुभाग अधिकारी (स्तर 10) के समान टीए/डीए और परामर्शदाता ग्रेड 1 तथा परामर्शदाता ग्रेड 2 के लिए केंद्र सरकार के अवर सचिव (स्तर 11) के समान टीए/डीए देय होगा।

5.3. कार्यकाल विस्तार और पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि

i) कार्यकाल विस्तार की अनुमति संबंधित विंग प्रमुख द्वारा कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर दी जाएगी, कार्यकाल विस्तार के लिए विंग प्रमुख की सिफारिश **अनुमोदन के लिए सचिव (वस्त्र) के समक्ष रखी जाएगी ।**

ii) प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक की समीक्षा की जा सकती है।

iii) कार्यनिष्पादन के आधार पर पारिश्रमिक वृद्धि निम्नानुसार होगी:

प्रदर्शन	**पारिश्रमिक में वृद्धि**
केवल नियमित/निर्धारित कार्य ही किया गया	शून्य
व्यक्तिगत परामर्शदाता/वाईपी जिन्होंने अपने क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया हो तथा सौंपे गए कार्य पर वांछित परिणाम प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट दिया हो।	पारिश्रमिक का 5% तक
जहां व्यक्तिगत वाईपी/परामर्शदाता ने अपने क्षेत्र में **अनुकरणीय प्रदर्शन किया हो तथा** प्रभाग के कार्यों में सौंपे गए कार्य पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित **उत्कृष्ट योगदान दिया हो।** **नोट: जिन मानदंडों के आधार पर 10% वृद्धि की सिफारिश की गई है, उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए और समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिश में शामिल किया जाना चाहिए।**	पारिश्रमिक का 10% तक

iv) पारिश्रमिक में 5% तक की वृद्धि के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता के कार्य निष्पादन के आधार पर विंग प्रमुख की सिफारिश की ही आवश्यकता होगी।

v) तथापि, 5% से अधिक और 10% तक पारिश्रमिक वृद्धि के लिए विंग प्रमुख की सिफारिश को वस्त्र मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित पारिश्रमिक वृद्धि संबंधी समिति या सचिव (वस्त्र) द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात सचिव (वस्त्र) का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

vi) उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद, किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्तिगत परामर्शदाता का पारिश्रमिक प्रारंभिक पारिश्रमिक के 1.35 गुना से अधिक नहीं होगा।

6. **प्रशिक्षण:** स्वतंत्र सलाहकारों को अपनी नियुक्ति के 2 महीने के भीतर आईगॉट (iGot) पर युवा पेशेवरों के लिए दक्षता पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसके अलावा, संबंधित विभाग प्रत्येक स्वतंत्र परामर्शदाता के लिए एक इंडक्शन मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, भूमिका विशिष्ट मॉड्यूल होंगे और प्रत्येक स्वतंत्र परामर्शदाता को निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

7. **संदर्भ की शर्तें** : संदर्भ की शर्तों में वितरित किए जाने वाले आउटपुट और निष्पादित किए जाने वाले कार्य शामिल होंगे। आउटपुट और कार्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, परिणाम-आधारित और समयबद्ध होंगे। वस्त्र मंत्रालय में संबंधित प्रभागों द्वारा विस्तृत शर्तें तैयार की जाएगी, जिसमें व्यक्तिगत परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। शर्तों को अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा।

8. **भुगतान:**

i. स्वतंत्र परामर्शदाताओं को नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य के आवधिक समापन के अधीन, माह पूरा होने के बाद 7 दिनों के भीतर मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

ii. आयकर या कोई अन्य कर जो वर्तमान नियमों के अनुसार काटा जाना है, भुगतान करने से पहले स्रोत पर काटा जाएगा, जिसके लिए वस्त्र मंत्रालय टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। व्यक्तिगत परामर्शदाताओं को लागू गुड्स एंड सर्विसेस कर का भुगतान करना होगा। वस्त्र मंत्रालय इस अनुबंध के तहत किए गए भुगतान पर व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा देय करों या अन्य योगदानों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

9. **कार्य समय और अवकाश**

i. कार्य समय मंत्रालय के कार्यालय समय के अनुसार होगा, जो आम तौर पर कार्य दिवसों के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है। हालांकि, काम की अनिवार्यता के कारण स्वतंत्र सलाहकारों को देर तक बैठना पड़ सकता है और उन्हें शनिवार/रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन भी बुलाया जा सकता है। इस तरह देर तक बैठना या आपातकालीन स्थिति में बंद छुट्टियों पर काम करने पर कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।

ii. प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, किसी भी वैध कारण से एक महीने तक की अनुपस्थिति को पारिश्रमिक के बिना माना जाएगा।

iii. उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी।

iv. उपरोक्त के अलावा, महिला स्वतंत्र परामर्शदाता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एस-36017/0302015-एसएस-I दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के अनुसार मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हो सकती हैं ।

10. **सेवा समाप्ति:**

i. मंत्रालय द्वारा किसी भी समय 15 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले में वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी तरह, स्वतंत्र परामर्शदाता भी समान अवधि का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है।

ii. मंत्रालय किसी भी स्तर पर किसी भी स्वतंत्र परामर्शदाता को सौंपे गए कार्य को करने में गंभीर विफलता या आचरण के किसी भी मानक का पालन करने में विफलता की स्थिति में बर्खास्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii. **मंत्रालय स्वतंत्र परामर्शदाता की नोटिस अवधि माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

11. **शीर्षक अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य मालिकाना अधिकार:**

i. अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र परामर्शदाता को प्रदान किए जाने वाले किसी भी उपकरण और आपूर्ति का स्वामित्व वस्त्र मंत्रालय के पास रहेगा। अनुबंध के समापन पर या स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा आवश्यकता न होने पर ऐसे किसी भी उपकरण को वस्त्र मंत्रालय को वापस कर दिया जाएगा। वस्त्र

मंत्रालय को लौटाए जाने वाले ऐसे उपकरण उसी स्थिति में होने चाहिए जैसे कि स्वतंत्र परामर्शदाता को दिए गए थे, सामान्य टूट-फूट के अधीन, और वह उपकरण के किसी भी नुकसान या गिरावट के लिए वस्त्र मंत्रालय को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो सामान्य टूट-फूट से परे है।

ii. वस्त्र मंत्रालय को सभी बौद्धिक संपदा और अन्य मालिकाना अधिकारों का हकदार माना जाएगा, जिनमें उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, तकनीकी जानकारी या दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के संबंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिन्हें स्वतंत्र परामर्शदाता ने अनुबंध के तहत वस्त्र मंत्रालय के लिए विकसित किया है और जो अनुबंध के निष्पादन के दौरान या उसके परिणामस्वरूप उत्पादित, तैयार या संग्रहित किए गए हैं, और स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्रियां वस्त्र मंत्रालय के लिए बनाए गए कार्य हैं।

पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन, अनुबंध के अंतर्गत स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा संकलित या प्राप्त सभी मानचित्र, रेखाचित्र, फोटो, मोजेइक, योजनाएं, रिपोर्ट, अनुमान, सिफारिशें, दस्तावेज और अन्य सभी डेटा, वस्त्र मंत्रालय की संपत्ति होंगे, और उन्हें उचित समय पर और उचित स्थानों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपयोग या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, और उन्हें गोपनीय माना जाएगा और अनुबंध के अंतर्गत कार्य पूरा होने पर उन्हें केवल **वस्त्र मंत्रालय के अधिकृत अधिकारियों को ही सौंपा जाएगा।**

iii. **यदि परामर्शदाता विदेशी मिशनों/फर्मों/थिंक टैंकों में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें सरकारी अनुबंध पूरा होने के बाद अनिवार्य दो वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के लिए एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। (संवेदनशील पद/कार्य पर काम करने के अधीन)।**

12. **अप्रत्याशित घटना और अन्य स्थितियाँ:**

i. यहाँ प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना का अर्थ है प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अपरिहार्य कार्य, युद्ध का कोई भी कार्य (चाहे घोषित हो या न हो)। आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या इसी प्रकार की प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य, बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हों और स्वतंत्र सलाहकारों की गलती या लापरवाही के बिना हों।

ii. स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि, अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व के संबंध में, जिसे उन्हें उन क्षेत्रों में या उनके लिए पूरा करना होगा जिनमें वस्त्र

मंत्रालय कार्यरत है, किसी शांति स्थापना, मानवीय या इसी तरह के कार्यों में शामिल होने या उनसे अलग होने की तैयारी कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में कठोर परिस्थितियों से उत्पन्न या उनसे संबंधित ऐसे दायित्वों को पूरा करने में कोई देरी या विफलता या ऐसे क्षेत्रों में होने वाली नागरिक अशांति की कोई घटना, अपने आप में, अनुबंध के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना नहीं मानी जाएगी।

13. **लेखा परीक्षा और जांच:** वस्त्र मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक चालान वस्त्र मंत्रालय के आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकृत और योग्य एजेंटों द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय और अनुबंध की समाप्ति या **समयपूर्व समाप्ति के बाद दो (2) वर्षों की अवधि के लिए भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के अधीन होगा।**

वस्त्र मंत्रालय स्वतंत्र परामर्शदाता से किसी भी राशि के लिए रिफंड पाने का हकदार होगा, जिसे ऐसे ऑडिट द्वारा वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार भुगतान किए जाने के अलावा दिखाया गया हो। **स्वतंत्र परामर्शदाता स्वीकार करता है और सहमत है कि, समय-समय पर, वस्त्र मंत्रालय एक** जांच कर सकता है और स्वतंत्र परामर्शदाता का इस तरह की जांच का अनुपालन करने का दायित्व अनुबंध की समाप्ति या समय से पहले समाप्ति पर समाप्त नहीं होगा। स्वतंत्र परामर्शदाता ऐसे किसी भी निरीक्षण, भुगतान के बाद के ऑडिट या जांच में पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करेगा। इस तरह के सहयोग में स्वतंत्र परामर्शदाता का दायित्व शामिल होगा, लेकिन यह इस तक सीमित नहीं होगा, कि वह उचित समय पर और उचित शर्तों पर ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने व्यक्तिगत और किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज को उपलब्ध कराए और स्वतंत्र परामर्शदाता के व्यक्तिगत और प्रासंगिक दस्तावेजों तक ऐसी पहुंच के संबंध में उचित समय पर और उचित शर्तों पर स्वतंत्र परामर्शदाता के परिसर में वस्त्र मंत्रालय को पहुंच प्रदान करे।

14. **विवादों का निपटारा** : वस्त्र मंत्रालय और स्वतंत्र परामर्शदाता अनुबंध या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

15. **मध्यस्थता:** अनुबंध, या उसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से उत्पन्न पक्षों के बीच कोई विवाद, मतभेद या दावा, जब तक कि सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा न हो जाए, जैसा कि ऊपर प्रावधान किया गया है, विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा सचिव (वस्त्र) द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

16. **हितों का टकराव:** स्वतंत्र परामर्शदाता से भारत सरकार के उन सभी नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी जो लागू हैं। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक ईमानदारी, पद की गोपनीयता और ईमानदारी दिखाने की अपेक्षा की जाएगी। यदि स्वतंत्र परामर्शदाता की

सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार के हितों के साथ टकराव में पाई जाती हैं, तो उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

17. **सामान्य नियम और शर्तें:**

i. वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) स्वतंत्र परामर्शदाता से वस्त्र मंत्रालय के किसी भी कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

ii. स्वतंत्र परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त बीमा लेने और उसे बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, साथ ही स्वतंत्र परामर्शदाता के अपने खर्च पर ऐसे जीवन, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के बीमा की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिन्हें स्वतंत्र परामर्शदाता उस अवधि को कवर करने के लिए उपयुक्त समझे, जिसके दौरान वह अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करता है।

iii. स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/झूठे पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उनके खिलाफ नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

iv. स्वतंत्र परामर्शदाता समय-समय पर संशोधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होंगे और मंत्रालय में 'युवा पेशेवर/परामर्शदाता ग्रेड 1/परामर्शदाता ग्रेड 2' के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके ध्यान में आने वाली किसी भी जानकारी/डेटा को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बताएंगे। ऐसी सभी जानकारी/रिकॉर्ड/कागजात/सॉफ्टवेयर/ईमेल आदि सरकार की संपत्ति होगी।

v. स्वतंत्र परामर्शदाता वाणिज्यिक लाभ के उद्देश्य से विज्ञापन नहीं देगा या अन्यथा सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताएगा कि उसका वस्त्र मंत्रालय के साथ अनुबंधात्मक संबंध है। वह किसी भी तरह से भारत सरकार या वस्त्र मंत्रालय के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर या वस्त्र मंत्रालय के नाम के किसी भी संक्षिप्त रूप का उपयोग, वस्त्र मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा नहीं करेगा।

vi. स्वतंत्र परामर्शदाता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह भारत सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार अपना आचरण करे। उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी, पद की गोपनीयता और काम के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करे। यदि उसकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार के हितों के साथ टकराव में पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएँ बिना किसी नोटिस अवधि या मुआवजे के तुरंत समाप्त कर दी जाएँगी।

vii. सामान्य तौर पर, स्वतंत्र परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में वस्त्र मंत्रालय से बाहर किसी भी प्राधिकरण से न तो निर्देश मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। स्वतंत्र परामर्शदाता अनुबंध के निष्पादन के संबंध में या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से संबंधित कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो वस्त्र मंत्रालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, और **वह** वस्त्र मंत्रालय के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन करेगा। स्वतंत्र परामर्शदाता वारंटी देता है कि उसने अनुबंध के निष्पादन या इसके पुरस्कार से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की पेशकश वस्त्र मंत्रालय के किसी भी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को नहीं की है और न ही करेगा। वह अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। अनुबंध के निष्पादन में, **स्वतंत्र** परामर्शदाता आचरण के सामान्य मानकों का पालन करेगा। इसका अनुपालन न करने पर **स्वतंत्र** परामर्शदाता को कारण बताकर बर्खास्त किया जा सकता है।

viii. यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेध: अनुबंध के निष्पादन में, स्वतंत्र परामर्शदाता "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" का अनुपालन करेगा। स्वतंत्र परामर्शदाता स्वीकार करता है और सहमत है कि इसके किसी भी प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अनुबंध की एक आवश्यक शर्त का उल्लंघन माना जाएगा, और किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों के अलावा दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, इसमें कुछ भी वस्त्र मंत्रालय के अधिकार को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरणों को आचरण के पूर्वोक्त मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन को संदर्भित करने के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।

ix. वस्त्र मंत्रालय में सेवा करते समय मृत्यु, चोट या बीमारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, स्वतंत्र परामर्शदाता या निकटतम संबंधी किसी भी मुआवजे या नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

x. स्वतंत्र परामर्शदाता को अपने संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा नियुक्ति से पूर्व किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

xi. परामर्शदाताओं की नियुक्ति जीएफआर 2017 के नियम 177 से 196 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

xii. नियुक्ति की अवधि वस्त्र मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रारंभ होगी।

xiii. स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान, बाद में वस्त्र मंत्रालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा या अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।

xiv. जहां सचिव, वस्त्र मंत्रालय की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में दर्ज करके किसी उपबंध में छूट दे सकेंगे।

18. पिछले दिशा-निर्देशों के तहत नियुक्त युवा पेशेवर/स्वतंत्र परामर्शदाता, अपने मौजूदा अनुबंध की समाप्ति तक उन दिशा-निर्देशों के नियमों और शर्तों के अधीन रहेंगे। कार्यकाल का कोई भी विस्तार इन नए दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।

19. ये दिशा-निर्देश परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। वे शिक्षा विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत ही संचालित होते रहेंगे।

20. इसे अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार की सहमति से दिनांक 04.02.2025 के सी.सं.52268 तथा माननीय वस्त्र मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हरि किशोर 24/2/25

(हरि किशोर)
अवर सचिव, भारत सरकार